स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 332, दिनाकः 13–11–2024

घूमन्तु अपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी, जनपद गाजियाबाद के अभियोग में वांछित रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू की उज्जैन से गिरफ्तारी।

एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को दिनांक 12–11–2024 को, थाना लोनी बॉर्डर, जनपद गाजियाबाद क्षेत्र में सर्राफा दुकान के शटर को तोड़कर की गई चोरी के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि में वांछित घूमन्तु आपराधिक गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्त का विवरणः–

1– खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू पुत्र रामरतन निवासी ग्राम बिलाखेडी, थाना धरनावदा, जनपद गुना, मध्य प्रदेश ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाक, समयः–

दिनाक 12–11–2024, समय लगभग 18.00 बजे, हरि फाटक चौराहा थाना नीलगंगा, उज्जैन क्षेत्र।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एंव श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ गौतमबुद्धनगर दिनांक 12–11–2024 को मय टीम के मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रो से प्राप्त सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अपराधियों की तलाश में उज्जैन पहुँचे तो मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, हरिफाटक चौराहा, थाना नीलगंगा के पास आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए थाना नीलगंगा एवं साइबर सैल, उज्जैन पुलिस के सहयोग से अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, उपरोक्त को दिनांक 12–11–2024 को समय लगभग 18.00 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार ईनामी अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 25 साल है और वह कक्षा 09 पास है। बताया कि वह मूलरूप से ग्राम बिलाखेडी, गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वह पारदी जनजाति का है। हमारा आपराधिक गिरोह है, जो रात में

मकानों की ग्रिल काटकर तथा दुकानो के शटर तोड़कर चोरी की वारदात करते हैं और जाग जाने अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देते हैं। एक स्थान पर वारदात करने के पश्चात दूसरे शहर में चले जाते हैं। अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू ने बताया कि उसके गॉव के नामे उर्फ नागेश्वर इत्यादि लोग चोरी करके पैसा कमाने का काम करते थे और इन्हीं लोगों से उसने चोरी करने का काम सीखा और अपने साथियों के साथ चोरी करने की घटनाऐं करना लगा। उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट द्वारा दिनांक 15–06–2024 को अभियुक्त नामे उर्फ नागेश्वर को गिरफ्तार कर थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के उपरोक्त अभियोग में जेल भजा गया था ।

अवगत कराना है कि माह जनवरी– 2024 में इस गिरोह के लोग दिल्ली में फ्लाई ओवर के नीचे डेरा डाले हुए थे। दिनांक 10–01–2024 को गिरोह के सभी सदस्यों ने थाना क्षेत्र लोनी बॉडर गाजियाबाद के बेहटा स्थित सन्टू, सोनू, ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोडकर दुकान में रखे जेवरात की चोरी किये थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसी अभियोग में अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (अपराध/मुख्यालय), कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र दिनांक 18–05–2024 के द्वारा रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस घटना के उपरान्त इस गिरोह के सभी लोग अन्य शहरों में चले गये थे। गिरफ्तार अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त खलूडा उर्फ बलराम उर्फ बल्लू, उक्त को थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411/399/402 भादवि के अभियोग में दाखिल किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––